प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 15.04.2026

#OPERATION CONVICTION

ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 15.04.2026 को निम्न अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना चौबिया

इटावा पुलिस की सुदृढ़ विवेचना एवं अभियोजन की समन्वित कार्यवाही के परिणामस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 5,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना चौबिया पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यया0 एडीजे-10 गैगस्टर कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 5,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

संक्षिप्त विवरणः- थाना चौबिया क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा अपने भौतिक लाभ हेतु एक सुसंगठित गैंग बनाकर मारपीट लूट/डकैती जैसे जघन्य अपराध कारित करना जिसके कारण जनता में भय आतंक व्याप्त होने के संबंध में थाना चौबिया पर दिनाँक 31.07.2016 को **मु0अ0सं0-183/2016 धारा 3(1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी **प्रभारी निरीक्षक रामचन्द्र दीक्षित थाना बसरेहर** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना चौबिया पुलिस टीम, पैरोकार का0 दानवीर सिंह व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री संजीव कुमार चतुर्वेदी द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.04.2026 को अन्तर्गत धारा **3(1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट में मा0 न्याया0एडीजे-10 गैगस्टर कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 5000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. बब्लू उर्फ जितेन्द्र पुत्र रन सिह निवासी भूटा रम्पुरा थाना चौबिया जनपद इटावा।